प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 02.05.2026

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.05.2026 को थाना लोनी पर वादी सुरेन्द्र पुत्र राममहर निवासी गांव गनोली थाना लोनी कमिश्रनेट गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 30.05.2026 को अभियुक्त 1. गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी गांव गनौली 2. सौरभ उर्फ भोला पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 3. गोपाल पुत्र रमेश निवासी गनौली 4. गौरव निवासी बादलपुर गौतमबुद्धनगर 5. मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी गांव गनौली व अन्य द्वारा गोली मारकर अपहरण कर गाडी में जबरन डाल कर अपने साथ ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 109(1)/140(3)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत मु0अ0स0 152/2026 पंजीकृत किया गया तत्पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अपराधिक घटना के षडयन्त्र में शामिल अभियुक्तगण 1. विजेन्द्र 2 आजाद पुत्रगण बुद्धाराम निवासी ग्राम गनौली 3. अजब सिंह पुत्र लखमीचन्द निवासी ग्राम गनौली के नाम प्रकाश में आये हैं तथा धारा 61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तत्पश्चात दिनांक 01.06.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1. विजेन्द्र 2 .आजाद 3. अजब सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अन्य वांछित अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी गांव गनौली 2. सौरभ उर्फ भोला पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 3. गोपाल पुत्र रमेश निवासी गनौली 4. गौरव पुत्र नामालूम निवासी बादलपुर गौतमबुद्धनगर 5. मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी गांव गनौली की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जिन पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। विवेचना के क्रम में वाछिंत अभियुक्तगण को संरक्षण देने हेतु अभियुक्त मोहित की माँ मन्जू पत्नी मुकुट पण्डित व अभियुक्त मोहित की ताई सन्तरेश पत्नी देवा निवासीगण ग्राम गनोली थाना लोनी गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 253 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 02.06.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता 1. मन्जू पत्नी मुकुट पण्डित निवासी गांव गनोली थाना लोनी कमिश्रनेट गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष 2. सन्तरेश पत्नी देवा निवासी गांव गनोली थाना लोनी कमिश्रनेट गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्ताओं ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारी विपक्षीगण से पुरानी रंजिश चली आ रही है जिसके रहते विपक्षीगण से रंजिश का बदला लेने के लिए हमने एक साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र कर इस घटना को अंजाम दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का नाम व पता–

1. मन्जू पत्नी मुकुट पण्डित निवासी गांव गनोली थाना लोनी कमिश्रनेट गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष।

2. सन्तरेश पत्नी देवा निवासी गांव गनोली थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद।।

आज दिनांक 02.06.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त सौरभ पुत्र शीशपाल मिश्रा निवासी रतिराम कॉलोनी, बेहटा रेलवे स्टेशन के पास थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को लोनी बस अड्डे के पास थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं मौका पाकर चोरी की घटना कारित करता हूँ। मैंनें पूर्व में कई चोरी की घटनाएं कारित की हैं। मैंनें यह अवैध तमंचा व कारतूस लोगो को डराने के लिए अपने पास रखा हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सौरभ पुत्र शीशपाल मिश्रा निवासी रतिराम कॉलोनी, बेहटा रेलवे स्टेशन के पास थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना सिहानीगेट पर चोरी/बरामदगी के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम - थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संचालित "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अंतर्गत आज थाना साहिबाबाद क्षेत्र में अपराधियों के स्व:सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

श्री जे.रविन्दर गौड पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में संचालित "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अंतर्गत आज थाना साहिबाबाद क्षेत्र में अपराधियों के स्वसत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान श्री धवल जायसवाल पुलिस उपायुक्त ट्रांसहिण्डन/नगर/मुख्यालय, श्री अमित सक्सैना सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद व श्री रविन्द्र गौतम प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद मय पुलिस बल के उपस्थित रहे। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना रहा।

अभियान की प्रमुख कार्यवाही:-

- थाना साहिबाबाद पर पंजीकृत लूट, हत्या, स्नैचिंग एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधियों का विशेष स्वसत्यापन किया गया।
- संबंधित अपराधियों को थाना परिसर में बुलाकर उनके वर्तमान निवास स्थान, रोजगार, गतिविधियों एवं अन्य आवश्यक विवरणों का सत्यापन किया गया।
- पूर्व से शरीर एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त रहे अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा कर उन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की गई।
- अभियान के दौरान लगभग 50 अपराधियों का स्वसत्यापन किया गया।
- स्वसत्यापन के उपरांत सभी अपराधियों को भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध न करने तथा अवैध गतिविधियों से दूर रहने की शपथ दिलाई गई।
- अपराधियों को आमजन में भय अथवा असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न न करने तथा कानून का पूर्णतः पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

सभी सत्यापित अपराधियों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक अथवा अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस का संदेश:-

थाना साहिबाबाद पुलिस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अपराधियों की निगरानी, स्व:सत्यापन एवं अपराध नियंत्रण हेतु ऐसे विशेष अभियान भविष्य में भी निरंतर संचालित किए जाते रहेंगे, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

थाना लोनी क्षेत्र में चलाया गया मेगा सर्च ऑपरेशन एवं अपराधियो का भौतिक सत्यापन अभियान।

पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में आज दिनांक 02.06.2026 को श्री केशव कुमार चौधरी,अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध एवं श्री सुरेन्द्रनाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन एवं अन्य पुलिस बल द्वारा थाना लोनी क्षेत्र में अपराधियों का सत्यापन एवं सघन सर्च अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की, उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया तथा सर्च अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

अभियान के दौरान आज दिनांक 02.06.2026 को थाना लोनी क्षेत्र में निवासरत कुल 708 अपराधियों का सत्यापन किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है।

1. हिस्ट्रीशीटर- 88
2. लुटेरे-92
3. चोर-162
4. स्नेचर-54
5. हत्या -19
6. दुष्कर्म/छेडछाड-56
7. अन्य - 237

कुल- 708